(क) जी नहीं।

[16/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 2688] तारांकित प्र.क्र.-2688
परिशिष्ट- अ

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/03/2021

क्रमांक एफ 2-4/2021/सात/शा.7

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय: न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त संरक्षण बाबत्।

न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 2 एवं 3 निम्नानुसार है:-

"2. परिभाषा- इस अधिनियम में "न्यायाधीश" से न केवल प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित है किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी अभिप्रेत है-

(क) जो किसी विधिक कार्यवाही में, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है; या

(ख) जो उस व्यक्ति-निकाय में से एक है, जो व्यक्ति-निकाय ऐसा निर्णय, जो खंड (क) में निर्दिष्ट है, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है।

3. न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त संरक्षण- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या था, उसके द्वारा उस समय जब वह अपने पदीय या न्यायिक कर्तव्य या कृत्य में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, या उसके अनुक्रम में किए गए किसी कार्य, की गई किसी बात या बोले गए किसी शब्द के लिए किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी की किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या था, ऐसी कार्रवाई (चाहे वह सिविल, दाण्डिक या विभागीय कार्यवाही के रूप में हो या अन्यथा) करने की शक्ति को किसी भी रीति से विवर्जित नहीं करेगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी।"

(इ.) 2/ अतः राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 31 अथवा किसी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही कर रहे है, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 2 के अंतर्गत 'न्यायाधीश' हैं और उन्हें, ऐसी अर्द्ध न्यायिक/न्यायिक कार्यवाही के दौरान किये गये किसी कार्य के विरुद्ध सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही से अधिनियम की धारा 3 (2) के अधीन रहते हुए, संरक्षण प्राप्त है।

25/3/21

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अधिकारी
शासन,
राजस्व विभाग (शाखा -

Letter to Collector Under Code 2021

Scanned with CamScanner